हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)–2/2020 तारीख,शिमला–02 02, दिसम्बर,2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा सिविल मूल याचिका अवमानना संख्या 2025 का 722, शीर्षक अमीतेश शर्मा और अन्य बनाम संदीप कदम वसंत और अन्य तारीख 06/11/2025 को पारित आदेश के, अनुक्रमण में, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह–आचार्य (इंजीनियरिंग), ग्रुप–ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह–आचार्य (इंजीनियरिंग) ग्रुप–ए भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है। (2) ये नियम राजपत्र, (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृतियां :	2	(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई)ए(3)4/2014 तारीख 26–09–2016 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग सह–आचार्य (इंजीनियरिंग) वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

कदम संदीप वसंत
सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकनः यथोपरि— तारीख, शिमला—171002, 02 दिसम्बर,2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002।
2. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला—171002 को उनके पत्र संख्याः 1—1—2015—पीएससी—पार्ट दिनांक 10, सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में दो प्रतियों सहित।
4. नियन्त्रण मुद्रण एवं लेखन सामाग्री विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश—171012।
5. निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि0 प्र0 सुन्दरनगर जिला मण्डी।
6. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हि0प्र0 सरकार, शिमला—171002।
7. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002 को दिनांक 24.11.2025 को हुई मंत्रीमण्डल की बैठक, मद संख्याः 65 के सन्दर्भ में।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजभाषा खण्ड —।। विधि विभाग, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला—171002।

(सुनील शर्मा)
विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह–आचार्य (इंजीनियरिंग), में ग्रुप–ए के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1	पद का नामः	सह–आचार्य (इंजीनियरिंग)
2	पद (पदों) की संख्याः	38 (अड़तीस) (i) सिविल इंजीनियरिंग –08 (आठ) (ii) इलेक्ट्रीकल एवं टेली कोमुनिकेशन इंजीनियरिंग – 05 (पाँच) (iii) मकैनिकल इंजीनियरिंग –08 (आठ) (iv) कम्पयूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग – 10 (दस) (v) इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग – 07 (सात)
3	वर्गीकरण	ग्रुप–ए
4	वेतनमान	सरकारी अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई)बी(2)–27/2022, तारीख 10–10–2022 अधिसूचना के अनुसार पे मैट्रिक्स का लेवल–13 ए, कोष्ठक–1
5	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद	चयन ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी– सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणक और अन्य अर्हताएं :	(क) अनिवार्य वांछनीय अर्हता(एं) : सुसंगत क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री और सुसंगत शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य और एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम कुल 6 शोध प्रकाशन। और अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव हो जिसमें से न्यूनतम दो वर्ष का पोस्ट पी एच डी का अनुभव होगा। (ख) वांछनीय अर्हता (एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं), प्रोन्नत	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता हां जैसा कि नीचे स्तम्भ संख्या 11 के समाने

	व्यक्ति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं:	विहित है।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो :	(i) सीधी भर्ती : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें । (ख) सेवाधृति के आधार पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं। (ii) प्रोन्नति : लागू नहीं
10.	<u>भर्ती की पद्वति:</u> भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकंडमैंट या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति/ सैकंडमैंट/ स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियों जिसके प्रोन्नति/ सैकंडमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा :	इंजीनियरिंग की समुचित शाखा के सहायक आचार्यों में से प्रोन्नति द्वारा, जो निम्नानुसार विहित शैक्षिक अर्हता रखते हो :— (क) सुसंगत क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री तथा सुसंगत शाखा में स्नातक या निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य और (ख) इन नियमों से संलग्न और समय—समय पर संशोधित एआईसीटीई अधिसूचना एफ.सं.61—1/आरआईएफडी/7वें सीपीसी/2016—17 तारीख 01/03/2019 के उपाबंध—III के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूर्ण हो। और (ग) निम्न वर्णित अपेक्षाओं के सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो।

सैट संख्या	सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के संवर्ग में अर्जित किया हो।		
	अनुभव (वर्षों में)	एससीआई जर्नलों/ यूजीसी/ अभातशिप द्वारा अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन।	औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक अभातशिप (10 में से)
1	3	2	5 से < 8
2	3	1	8 से 10

360° प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन इन नियमों से संलग्न और समय–समय पर संशोधित एआईसीटीई अधिसूचना 01/03/2019 के उपाबंध–IV के अनुसार होगा।

(I) परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृंद्व को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, किए गए थे ।

टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवार्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I :– उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II:–. उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड. और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगे:

स्पष्टीकरण–III उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन कि लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:–

(i) उप– मण्डल/ तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहॉ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल

(तदर्थ आधार पद की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उसस` वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने– अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में कार्य ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजवेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:	विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में पद नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचित समझें, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तु मिष्ठा प्रकार लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
16.	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18.	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखत करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

अनुबंध–III

सभी विषयक्षेत्रों से शिक्षको की प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण अपेक्षाएं

सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लिए : सहायक प्रोफेसर के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति:

प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/ आईआईए/एसपीए/ आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) जिसमें से कम–से–कम एक एफडीपी उन्नत शिक्षा शास्त्र में हो।

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल–अभातशिप द्वारा ई–प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल –अभातशिप द्वारा ई–प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो

और

कम–से–कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लिए : सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति

प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/एसपीए/ आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल–अभातशिप द्वारा ई–प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल–अभातशिप द्वारा ई–प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएल (मूक्स) पाठयक्रम पूर्ण किए हो

और

कम–से–कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

एसोसिएट प्रोफेसर के लिए : सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के लेवल में निम्नलिखित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति :

प्रासंगिक क्षेत्र में अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/पीएमएमएमएनएमटीटी/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार/डीटीई/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सीओए/आईआईए/एसपीए/आईटीपीआई/एनआरसी/एआरपीआईटी शोध संगठन/राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान/डिजाईन स्टूडियो द्वारा मान्यता प्रदान दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)।

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा एनपीटीईएल–अभातशिप द्वारा ई–प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल–अभातशिप द्वारा ई–प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएल (मूक्स) पाठयक्रम पूर्ण किए हो

और

कम–से–कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

अनुबंध–IV

360° प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन

360° स्कोर का निर्धारण निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा :

क. शिक्षण (अधिकतम अंक 25)

ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

ग. विभागीय कियाकलाप (अधिकतम अंक 20)

घ. संस्थान कियाकलाप (अधिकतम अंक 10)

ड. ए.सी.आर. (अंक 10)

च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)

उम्मीदवार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ग के लिए विचार की जाने वाली परिकलन शीट और एक सारांश शीट प्रस्तुत करेगा जिसमें 10 अंक के पैमाने पर उसके अंको को दर्शाया गया होगा।

क. शिक्षण प्रकिया (अधिकतम अंक 25)

परिकलन को एक तालिका में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा इस अनुबंध में दर्शाया गया है। तालिका में विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों के विवरण होंगे जैसे सत्र (सेमेस्टर), पाठ्यकम कोड/नाम, अधिसूचित कक्षाओं की संख्या, वास्तव में लगाई गई कक्षाएं। योग को 25 अंक पैमाने पर कम किया जाएगा।

ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

उम्मीदवार विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 के पैमाने पर औसत अंक प्रस्तुत करेगा। सभी ऐसे अंको के कुल औसत का प्रयोग किया जाएगा।

ग. विभागीय कियाकलाप (अधिकतम अंक 20)

यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से शिक्षक को निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायित्व शामिल हैं, जैसे प्रयोगशाला प्रभारी, टाईम टेबल प्रभारी, एनबीए–अभातशिप कार्य, प्रायोजित परियोजनाएं, विभागीय न्यूजलैटर आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंको तक 3 अंक अर्जित रहेगा।

घ. संस्थान कियाकलाप (अधिकतम अंक 10)

यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से किसी उम्मीदवार का निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायितव शामिल है जैसे विभागाध्यक्ष, समन्वयक, वार्डन, प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी, संपदा अधिकारी आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंको तक 5 अंक अर्जित रहेगा।

ड. ए.सी.आर. (अंक 10)

संस्थान स्तर पर अनुरक्षित ए.सी.आर. में ग्रेडिंग के आधार पर 10 अंक होंगे।

च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)

उम्मीदवार अभातशिप द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों में शामिल है। उम्मीदवार प्रत्येक कियाकलाप के प्रति सेमेस्टर 5 अंक अर्जित करेगा। दावे को संस्थान के प्रमुख से कार्यालय आदेश/अधिकारिक पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सभी शैक्षणिक वर्षों के लिए अंको के सकल योग को 10 अंक के पैमाने पर कम किया जाएगा।

टिप्पणी : उपर्युक्त मानदण्डों में उल्लिखित कियाकलाप सांकेतिक है। प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय कियाकलापों को विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय कियाकलापों को जोड़/घटा सकेगा। निम्नलिखित अधिमानों के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर के लिए 20 अंको में से 10 अंको का अधिमान दिया जा सकेगा।

असाधारण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक
10	**9**	**8**	**7**	**5**

क्रैडिट अंकों का परिकलन

(प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ–1)

नाम	
वर्तमान पद	
शैक्षणिक वर्ग	
शिक्षण प्रकिया	

क. शिक्षण प्रकिया (अधिकतम अंक 25)

कम संख्या	सत्र	पाठ्यकम कोड/नाम	निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या	अर्जित अंक	संलग्नक संख्या
1	1/2018–19	सीईटी–100	42	39		
2	1/2018–19	सीईटी–200	39	38		
3	2/2018–19	एमईडी–100	41	39		
4	2/2018–19	बीएसई–100	42	41		
		कुल	164	157	23.93	

ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

कम संख्या	सत्र	पाठ्यकम कोड/नाम	स्केल 25 पर विद्यार्थियों को औसत प्रतिपुष्टि	संलग्नक संख्या
	1/2018–19	सीईटी–100	22.3	
	1/2018–19	सीईटी–200	21.8	
	2/2018–19	एमईडी–100	19.6	
	2/2018–19	बीएसई–100	22.8	
		कुल	**86.5**	

ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रैडिट 20)

कम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	कैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	1/2018–19	प्रयोगशाला प्रभारी	3	3 अंक/सत्र	
2	1/2018–19	परामर्श	3	3 अंक/सत्र	
3	1/2018–19	टाईम टेबल प्रभारी	3	3 अंक/सत्र	
4	2/2018–19	टाईम टेबल प्रभारी	3	3 अंक/सत्र	
5	2/2018–19	एनबीए कार्य	3	3 अंक/कार्यक्रम	
6	2/2018–19	प्रयोगशाला प्रभारी	3	3 अंक/कार्यक्रम	
7	2/2018–19	परामर्श	3	3 अंक/सत्र	
		कुल	21		

क्रैडिट अंको का परिकलन

[प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ–2]

घ. संस्थान कियाकलाप (अधिकतम क्रैडिट 10)

कम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	1/2018–19	विभागाध्यक्ष/डीन	4	4 अंक/सत्र	
2	2/2018–19	संस्थान के प्रमुख नियुक्त समन्वयक	2	2 अंक/सत्र	
3	2/2018–19	आयोजित सम्मेलन	2	2 अंक/कार्यक्रम	
4	2/2018–19	एफडीपी/सम्मेलन	2	1 अंक/कार्यक्रम सभी सह–समन्वयकों के बीच विभाजित किए जाएं	

ङ. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रैडिट 10)

असाधारण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक
10	9	8	7	5

कम संख्या	वर्ष	कार्यकलाप	क्रैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	2018–19	एसीआर	10	असाधारण	
2		एसीआर	8	बहुत अच्छा	
3		एसीआर	9	उत्कृष्ट	
4		एसीआर	10	असाधारण	
औसत			37/4 = 9.25		

च. समाज के लिए योगदान (अधिकतम क्रैडिट 10)

कम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1		अधिष्ठापन कार्यक्रम	5		
2		उन्नत भारत अभियान	5		
3		योग कक्षाएं	5		
4		रक्त दान	5		

क्रैडिट अंको का परिकलन
(खाली प्रपत्र)

नाम	
वर्तमान	
शैक्षणिक वर्ष	
शिक्षण प्रक्रिया	

क. शिक्षण प्रकिया (अधिकतम अंक 25)

कम संख्या	सत्र	पाठ्यकम कोड / नाम	निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या	अंक	संलग्नक संख्या
1						
2						

ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

कम संख्या	सत्र	पाठ्यकम कोड / नाम	स्केल 25 पर विद्यार्थियों की औसत प्रतिपुष्टि	संलग्नक संख्या
1				
2				

ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रैडिट 20)

कम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

घ. संस्थान कियाकलाप (अधिकतम क्रैडिट 10)

कम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

ड. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रैडिट 10)

कम संख्या	वर्ग	कार्यकलाप	क्रैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

च. समाज के लिए योगदान (अधिकतम अंक 10)

कम संख्या	वर्ग	कार्यकलाप	क्रैडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

सारांश

सारांश	शैक्षणिक वर्ग	शैक्षणिक वर्ग	शैक्षणिक वर्ग
	1	2	3
क. शिक्षण प्रकिया (अधिकतम अंक 25)			
ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)			
ग. विभागीय कियाकलाप (अधिकतम अंक 20)			
घ. संस्थान कियाकलाप (अधिकतम अंक 10)			
ड. अभातशिप पहलकदम (अधिकतम अंक 10)			
कुल (अधिकतम अंक 100)			
10 अंक स्केल में कुल			

छात्र प्रतिपुष्टि प्रपत्र

(संस्था के उपयोग के लिए)

शैक्षणिक वर्ष :		संकाय का नाम	
पाठ्यकम		सत्र	
		प्रतिपुष्टि की तिथि	

विद्यार्थी द्वारा भरे जाने के लिए

कम संख्या	वर्णन	बहुत खराब (1)	खराब (2)	अच्छा (3)	बहुत अच्छा (4)	उत्कृष्ट (5)
1	क्या शिक्षक के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समग्र विषयवस्तु को पूरा किया है ?					
2.	क्या शिक्षक ने विषयवस्तु के अतिरिक्त प्रासंगिक शीर्षकों को भी शामिल किया है					

3.	निम्न के संदर्भ में शिक्षक की प्रभावशीलता :					
	(क) तकनीकी अन्तर्वस्तु / पाठ्यक्रम अन्तर्वस्तु					
	(ख) सम्प्रेषण कौशल					
	(ग) शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग					
4.	जिस गति से अन्तर्वस्तु पूरी की जाती है					
5.	विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा					
6.	विद्यार्थियों के कौशल को विकसित करने के लिए सहायता					
	(i) प्रायोगिक प्रदर्शन					
	(ii) मौके पर प्रदर्शन					
7.	विद्यार्थियों की अपेक्षाओं की स्पष्टता					
8.	विद्यार्थियों की प्रगति पर उपलब्ध करवाई गई प्रतिपुष्टि					
9.	विद्यार्थियों को सहायता एवं परामर्श देने की तत्परता					
	कुल					

(Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3)-2/2020, dated....................as required under article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Technical Education,
Vocational & Industrial Teaining.

No. EDN (TE)A(3)-2/2020 Dated, Shimla-171002, 09th December,2025

Notification

In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of Constitution of India, and in pursuance of order dated 06-11-2025 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in COPC No. 722 of 2025 titled as Amitesh Sharma and Ors. V/s Sh. Sandeep Kadam Vasant & anr. the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (Engineering), Group-A in the Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and commencement:	1.	(1) These rules may be called the Himachal Technical Education, Vocational and Industrial Training Department Associate Professor (Engineering) Group-A Recruitment and Promotion Rules, 2025.
		(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Repeal & Savings:	2.	(1) The Himachal Pradesh, Technical Education Vocational and Industrial Training Department, Associate Professor (Engineering), Recruitment and Promotion Rules, 2016 notified vide this Department Notification No. EDN (TE)A(3)4/2014, dated 26.09.2016 are hereby repealed.
		(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule 2(I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

BY ORDER

Kadam Sandeep Vasant
Secretary (Tech. Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. EDN(TE)A(3)-2/2020 Dated,Shimla-171002, the 09th December, 2025

Copy forwarded to:-

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. The Addl. LR-Cum-Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
4. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-171002 alongwith 02 copies, with reference to letter No. 1-1/2015-PSC-Part dated 10th September, 2025.
5. The Director, Technical Education, H.P. Sundernagar, District Mandi (H.P.)
6. The Controller Printing & Stationary, H.P. Shimla-171005 for publication in the Rajpatra (Extra-Ordinary).
7. The Joint Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 w.r.t item No. 65 of meeting of CMM dated 24.11.2025.
8. Senior Law Officer (H) Law Department H.P. Secretariat Shimla-171002.

(Suneel Sharma)
Special Secretary (Tech. Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh.

****

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR (ENGINEERING) GROUP-A IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL, TRAINING HIMACHAL PRADESH.

1	Name of the Post	Associate Professor (Engineering)
2	Number of post(s)	38 (Thirty Eight) (i) Civil Engineering=08(Eight) (ii) Electronics & Communication Engineering=05(Five) (iii)Mechanical Engineering=08 (Eight) (iv)Computer Science and Engineering=10 (Ten) (v) Electrical Engineering=07(Seven)
3	Classification	Group-A
4	Scale of Pay	Level 13A, Cell-1 of the pay matrix as per Govt. Notification EDN (TE) B (2)-27/2022 dated 10/10/2022.
5	Whether "Selection" post or "Non Selection" post	Selection
6	Age for direct recruitment	18 to 45 years
	Provided that the upper age limit for direct recruit will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc basis: **Provided** further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc appointment: **Provided** also that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government. **Provided** also that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector	

	Corporations/Autonomous Bodies. **Note:-**Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.	
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):	**(i) Essential Qualification(s):** (a) Ph. D degree in the relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch AND (b). At least total 6 research publications in SCI journals/UGC/AICTE approved list of journals. AND (c). Minimum of 8 years of experience regular service, in teaching/research /industry out of which at least 2 years shall be post Ph.D experience. **(ii) Desirable Qualification(s):** Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promote(s):	Age: Not applicable Educational Qualification: Yes, as prescribed in Column No.11
9	Period of Probation, if any	**(i) Direct Recruitment:** (a)Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on tenure basis, re-employment after superannuation and absorption. (ii) **Promotion**: Not Applicable
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment, or by regularization or by transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis.
11	In case of recruitment by promotion/	By promotion from amongst the Assistant Professors

<table>
<tr>
<td></td>
<td>secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made:</td>
<td>of appropriate branch of Engineering subject to possessing of educational qualifications prescribed as under: -

(a) Ph.D. degree in relevant filed and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch.

AND

(b). Should have completed minimum training requirements as per Annexure-III of AICTE notification F.No. 61-1/RIFD/7th CPC/2016-17 dated 01/03/2019 appended to these rules and as amended from time to time.

AND

(c) Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements.
<table>
<tr><td rowspan="2">Set No.</td><td colspan="3">To have acquired in the cadre of Assistant Professor (Selection Grade)</td></tr>
<tr><td>Experience (years)</td><td>Research publications in SCI journals UGC/ AICTE approved list of journals</td><td>Avg. 360 degree feedback score (out of 10)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>5 to <8</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>8 to 10</td></tr>
</table>

Calculation of 360 degree feedback should be as per Annexure-IV of AICTE Notification 01/03/2019, appended to these rules and as amended from time to time.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/ Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in</td>
</tr>
</table>

	accordance with his/her seniority in the respective cadre. **Explanation-I** :- For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience. **Explanation-II**:- For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahaul&Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. DodraKawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchaayat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kulllu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and KorgaPatwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles or Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach–Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District. **Explanation III**:- For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under: i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter. ii) All stations beyond the radius of 15 km. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms. iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category. (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper

	acceptable process of selection in accordance with the provisions of R &P Rules: (i) Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less; Provide further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **Explanation:-** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demoblized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under. (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment /promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:	
12	If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation exists, what is its composition?	Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee:- As may be constituted by the Government from time to time
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India
15	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the, H.P. Public Service Commission or other recruiting authority as

		the case may be, so consider necessary or expedient on the basis interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Schedule Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.
17-	Departmental Examination	Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18.	Power to Relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-III

Training Requirements for Promotions of Teachers from all the Disciplines

For Assistant Professor (Senior Scale): Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor.

Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area out of which at least one of the FDP shall be in advanced pedagogy recognised by AICTE/UGC/TEQIP/ NITTTR/ PMMMNMTT/IISC/IIT/University/Government/DTE/Board of Technical Education/CoA/ IIA/ SPA/ITPI/NRCS/ARPIT research organization/ other institute of National Importance/Design Studio.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE

AND

Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training.

For Assistant Professor (Selection Grade): Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Senior Scale)

Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognized by AICTE/UGC/ TEQIP/NITTTR/ PMMMNMTT/ IIS/ IIT/ University/Government/ DTE/Board of Technical Education /CoA/ ILA/ SPA/ ITPI/ NRCS/ ARPIT/ research organization/other institute. of National Importance/Design Studio.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL AICTE.

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE

AND

Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training

For Associate Professor: Completion of following training requirements at the level of Assistant Professor (Selection Grade)

Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) in the relevant area recognised by AICTE /UGC/TEQIP/NITTTR/PMMMNMTT/IIS/IT/ University/Government/ DTE/ Board of Technical Education/CoA/IIA/SPA/ITPI/NRCS/ARPIT/ research organization / other institute of National Importance/Design Studio.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS with E-Certification by NPTEL-AICTE

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE

AND

Completed minimum two weeks of relevant Industrial Training/Professional Training

Annexure-IV

CALCULATION OF 360° FEEDBACK SCORE

The 360 Degree Score shall be determined on the basis of following parameters

a. Teaching Process (Maximum Point 25)
b. Students Feedback (Maximum Point 25)
c. Departmental Activities (Maximum Point 20)
d. Institute Activity (Maximum Point 10)
e. ACR (Maximum Point 10)
f. Contribution to Society (Maximum Point 10)

The candidate shall submit calculation sheet for each academic year to be considered and a summary sheet exhibiting his score on a 10 point scale

a. Teaching Process (Maximum Points 25)

The calculation shall be presented in a table as presented in this Annexure. The table will have the details of courses taught in the academic year in consideration, like Semester, course Code / Name, No. of scheduled classes, actually held classes. The total shall be reduced on 25 point scale.

b. Students' Feedback (Maximum Points 25)

The candidate shall submit average score for each course taught during academic year under consideration on a scale of 25. The average of total of all such score shall be used.

c. Departmental Activities (Maximum Points 20)

This section summarizes all the responsibilities assigned by Head of the Department to a teacher during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Lab I/C. Time Table UC, NBA-AICTE work, sponsored projects, departmental newsletter etc. The candidate will earn 3 points per semester for each activity up to a maximum of 20.

d. Institute Activity (Maximum Points 10)

This section summary all the responsibilities assigned by Head of the institute to the candidate during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Head of Department, Coordinator, Warden, Training and Placement officer, Estate Officer etc. The candidate will earn 5 points per semester for each activity up to a maximum of 10.

e. ACR (Maximum points 10)

ACR maintained at institute level shall have 10 points based on grading

f. Contribution to Society (Maximum Points 10)

The candidate involved in different initiatives by AICTE. The candidate will earn 5 points per semester for each activity. The claim should be supported by an office order/ official communication from Head of Institute.

The grand total of points for all academic years shall be converted to a 10 points scale.

Note: The activities mentioned in above criterion are indicative. Principal/ Director/HoD may add or remove some of the activities at department and institute level as per the requirements of the institute. Weightage of 10 marks may be given for ACRs maintained at institute level out of 20 Marks as per following grading.

Calculation of Credit Points

(Sample Calculations Page-1)

Name	
Present Position	
Academic Year	
Teaching Process	

A. Teaching Process (Max Point 25)

S.No.	Semester	Course Code/Name	No. of Scheduled Classes	No. of actually held classes	Points earned	Enclosure No.
1	1/2018-19	CET-100	42	39		
2	1/2018-19	CET-200	39	38		
3	2/2018-19	MED-100	41	39		
4	2/2018-19	BSE-100	42	41		
		Total	**164**	**157**	**23.93**	

B. Students' (Max Point 25)

S.No.	Semester	Course Code/Name	Average Students feeback on the scale of 25	Enclosure No.
	1/2018-19	CET-100	22.3	
	1/2018-19	CET-200	21.8	
	2/2018-19	MED-100	19.6	
	2/2018-19	BSE-100	22.8	
		Total	**86.5**	

C. Departmental Activities (Max credit 20)

S.No.	Semester	Activity	Credit Point	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	1/2018-19	Lab I/C	3	3 Point/semester		
2	1/2018-19	Consultancy	3	3 Point/semester		

3	1/2018-19	Timetable I/C	3	3 Point/semester		
4	2/2018-19	Timetable I/C	3	3 Point/semester		
5	2/2018-19	NBA work	3	3 Point/event		
6	2/2018-19	Lab I/C	3	3 Point/event		
7	2/2018-19	Consultancy	3	3 Point/semester		
		Total	**21**			

D. Institute Activities (Max credit 10)

S.No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	1/2018-19	HoD/Dean	4	4 Point/semester	
2	1/2018-19	Coordinator appointed by Head of Institute	2	2 Point/semester	
3	1/2018-19	Organized Conference	2	2 Point/event	
4	2/2018-19	FDP/Conference	2	1 point/event, to be divided between all co-ordinators	

E. ACR maintained at instate level (Max Credit 10)

Extraordinary	Excellent	Very Good	Good	Satisfactory
10	9	8	7	5

S.No.	Year	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	**2018-19**	**ACR**	**10**	**Extraordinary**	
2		**ACR**	**8**	**Very Good**	
3		**ACR**	**9**	**Excellent**	
4		**ACR**	**10**	**Extraordinary**	
Average			**37/4=9.25**		

F. Contribution to Society (Max Credit 10)

S.No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1		Induction Program	5		
2		Unnat Bharat Abhiyan	5		
3		Yoga Classes	5		
4		Blood Donation	5		

Calculation of Credit Points

(Blank Format)

Name	
Present Position	
Academic Year	

Teaching-Process	

G. Teaching Process (Max Points 25)

S.No.	Semester	Course Code/Name	No. of Scheduled Classes	No. of actually held classes	Point	Enclosure no.
1						
2						

H. Students' feedback (Max Points 25)

S.No.	Semester	Course Code/Name	Average Student feedback on the scale of 25	Enclosure no.
1				
2				

I. Departmental Activities (Max Points 20)

S.No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1					
2					

J. Departmental Activities (Max Points 20)

S.No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1					
2					

K. ACR maintained at institute level (Maximum Points 10)

S.No.	Year	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1					
2					

L. Contribution to Society (Maximum Points 10)

S.No.					
1					
2					

Summary

Summary	Academic Year	Academic Year	Academic Year
	1	2	3
A. Teaching Process (Max Points 25)			
B. Students' feedback (Max Points 25)			

C. Departmental Activities (Max Points 20)			
D. Institute Activities (Max Points 10)			
E. ACR (Max Points 10)			
F. Contribution to Society (Max Punts 10)			
Total (Max Points 100)			
Total on 10 Point scale			

STUDENT'S FEEDBACK FORM

(To be used by institutions)

Academic Year:		Name of the Faculty	
Course		Semester	
		Date of the feedback	

For getting filled in through student

S.No.	Description	**Very Poor**	**Poor**	**Good**	**Very Good**	**Excellent**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Has the Teacher covered entire Syllabus as prescribed by University/College/Board ?					
	Has the teacher covered relevant topics beyond syllabus					
3	Effectiveness of Teacher in terms of:					
	(a) Technical content/course content					
	(b) Communication skills					
	(c) Use of teaching aids					
4	Pace on which contents were covered					
5	Motivation and inspiration for students to learn					
6	Support for the development of Students' skill					
	(i) Practical demonstration					
	(ii) Hands on training					
7	Clarify of expectations of students					
8	Feedback provided on Students' progress					
9	Willingness to offer help and advice to students					
	Total					